न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार यादव
आई.ए.एस.

अपील संख्या 68/2017

1. जोगेन्द्र सिहं पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ग्राम अलीपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
2. विजय सिहं पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बास काली पहाड़ी तहसील व जिला झुंझुनू।
3. अरूण जानू पुत्र सज्जन कुमार, जाति जाट निवासी बसन्त विहार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

——रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 को दिनांक 27.02.2017 को दिनांक 06.03.2017 द्वारा खारिज किये जाने खसरा नम्बर 450 रकबा 0.62 हैक्टर कस्बा झुंझुनू

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण कुमार – एडवोकेट अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 05.10.2017

उक्त विषयक अपील मय दफा 5 मि.अ. के विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के नामान्तरकरण संख्या 3599 वाके ग्राम कस्बा झुंझुनू दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टस के अनुसार निम्नानुसार है– कस्बा झुंझुनू में कृषि भूमि खसरा नम्बर 450 रकबा 0.62 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित जमीन विक्रेता रमाकान्त के कब्जे काश्त अधिकार व खातेदारी की है जिसका विक्रेता रमाकान्त खातेदार काश्तकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व व प्रभाव में आने के समय से ही विक्रेता के पूर्वज व उनके बाद विक्रेता रमाकान्त उक्त भूमि के कब्जे काश्त में रहा है तथा निरन्तर उक्त भूमि को काश्त करता रहा है तथा खातेदारी रिकॉर्ड में भी रमाकान्त उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। विक्रेता रमाकान्त ने जरिये मुख्तयार श्री काशीराम उक्त वर्णित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2017 से जोगेन्द्र पुत्र धर्मपाल सिहं जाति जाट निवासी अलीपुर, विजय सिहं पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बास काली पहाड़ी व अरूण जानू पुत्र श्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी बसंत विहार झुंझुनू को कर दिया है तथा कब्जा काश्त जमीन का उक्त क्रेतागण को सम्भला दिया। उक्त वर्णित भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

कलेक्टर झुन्झुनू

के आधार पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार महोदय के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3599 दर्ज किया गया है तथा उक्त भूमि के नामान्तरकरण संख्या 3599 में जोगेन्द्र पुत्र धर्मपाल सिहं जाति जाट निवासी अलीपुर, विजय सिहं पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बास कालीपहाड़ी व अरूण जानू पुत्र श्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी बसंत विहार झुंझुनू नामान्तरकरण में दर्ज किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3599 सही मानकर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 27.02.2017 को उक्त जोगेन्द्र सिहं, विजय सिहं व अरूण जानू प्रार्थीगण अपीलान्ट के नाम सही व सत्य मानकर मिलान कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, झुंझुनू द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त वर्णित भूमि के उक्त नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 के विरूद्ध किसी पक्षकार व्यक्ति द्वारा कोई अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 3599 के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में बिना किसी अपील या आदेश के व बिना किसी विधिक आदेश के तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 के नामान्तरकरण प्रावधानों के विरूद्ध बिना किसी विधिक प्रकिया की पालना किये हुये तथा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सूचित किये हुये गलत रूप से योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनू द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3599 को दिनांक 06.03.2017 को खारिज किये जाने का आदेश उक्त नामान्तरकरण संख्या 3599 के पुष्ट पर अंकन कर दिया जो कि गलत व अवैध है, नल एण्ड वोईड है। गलत रूप से योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोयद द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3599 को खारीज किये जाने का आदेश दिनांक 06.03.2017 पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही सही व सत्य मानकर सम्पूर्ण रूप से मिलान कर दर्ज किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के द्वारा दर्ज नामान्तरकरण आदेश दिनांक 27.02.2017 को स्वयं के द्वारा ही दिनांक 06.03.2017 को खारीज किया गया है जो कि कानून के विपरित है। कानूनन योग्य अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय अपील प्रावधान है जबकि उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 के दर्ज आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा श्रीमान की अदालत में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है , ना ही प्रार्थी अपीलान्ट को श्रीमान की अदालत से कोई नोटिस प्राप्त हुये है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व अवैध रूप से अपने स्वयं के आदेश को ही स्वयं के आदेश द्वारा खारिज किया गया है जो कि कानून के विपरित है, अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 को खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 06.03.2017 निरस्त फरमाया जावें तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 यथावत रखे जाने का आदेश फरमाया जावें तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी/अपीलान्टस के नाम दर्ज की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुऐ कथन किया कि विक्रेता रमाकान्त ने जरिये मुख्तयार श्री काशीराम उक्त वर्णित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2017 से जोगेन्द्र पुत्र धर्मपाल सिहं जाति जाट निवासी अलीपुर, विजय सिहं पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बास काली पहाड़ी व अरूण जानू पुत्र श्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी बसंत

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

विहार झुंझुनू को कर दिया है तथा कब्जा काश्त जमीन का उक्त केतागण को सम्भला दिया। उक्त वर्णित भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार महोदय के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3599 दर्ज किया गया है तथा उक्त भूमि के नामान्तरकरण संख्या 3599 में जोगेन्द्र पुत्र धर्मपाल सिहं जाति जाट निवासी अलीपुर, विजय सिहं पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बास कालीपहाड़ी व अरूण जानू पुत्र श्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी बसंत विहार झुंझुनू नामान्तरकरण में दर्ज किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3599 सही मानकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही सही व सत्य मानकर सम्पूर्ण रूप से मिलान कर दर्ज किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के द्वारा दर्ज नामान्तरकरण आदेश दिनांक 27.02.2017 को स्वयं के द्वारा ही दिनांक 06.03.2017 को खारीज किया गया है जो कि कानून के विपरित है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 को खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 06.03.2017 निरस्त फरमाया जावें तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 यथावत रखे जाने का आदेश फरमाया जावें तथा रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी/अपीलान्टस के नाम दर्ज की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस के दौरान निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेशों की पालना में नामान्तकरण स0 3599 पर दिनांक 27.02.2017 को खारिज आदेश दिनांक 06.03.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट् की अपील में कोई फोर्स नही है, खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 विधि पूर्वक नहीं है। कानूनन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के बाद उसे अपास्त करने के लिए अपील के प्रावधान है परन्तु अदालत मातहत द्वारा स्वयं ही नामान्तरकरण संख्या 3599 पर दिनांक 27.02.2017के आदेश को आदेश दिनांक 06.03.2017 द्वारा खारीज किया गया है। यदि नामान्तरकरण संख्या 3599 दिनांक 27.02.2017 की बाबत पुनरावलोकन किया जाना उन्हे आवश्यक व विधि सम्मत प्रतीत हो रहा था तो उसके लिए उन्हे विधिक प्रकिया अपनानी चाहिए थी। बिना विधिक प्रकिया अपनाए पारित आदेश को किसी भी स्थिति में विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकर की जाकर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा नामान्तकरण संख्या 3599 पर पारित आदेश दिनांक 06.03. 2017 को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिनांक 27.02.2017 को यथावत रखें जाने का आदेश दिया जाता है।

मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू